

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थायीकरण/अजमेर/सी-554/2018/

दिनांक:

—: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 एवं 230 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिबीक्षाकाल की विधिवितया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिबीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हे परिबीक्षाकाल पूर्ण करने पर प्रत्येक नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 12.2.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै ग्रेडिक्स लेवल एल 1 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिबीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिबीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियमित तिथि
1.	शक्ति सिंह भीणा	चित्तौड़गढ़	14.10.83	12.08.16	11.08.18	12.08.18
2.	रवींठी गुप्ता	चित्तौड़गढ़	25.04.88	11.08.16	10.08.18	11.08.18
3.	नरीला भीणा	चित्तौड़गढ़	01.01.86	23.08.16	22.08.18	23.08.18
4.	कौशल्या देवी भीणा	चित्तौड़गढ़	01.01.86	16.08.16	15.08.18	16.08.18
5.	लक्ष्मी देवी	चित्तौड़गढ़	25.06.85	17.08.16	16.08.18	17.08.18
6.	शिवांगी राधू	चित्तौड़गढ़	20.11.87	17.02.16	20.02.18	21.02.18
7.	अजू धाकड	चित्तौड़गढ़	11.10.86	24.02.16	23.03.18	24.03.18
				मध्याह्न पश्चात्		
8.	दिनेश चन्द्र मेनारिया	चित्तौड़गढ़	05.01.82	11.08.16	10.08.18	11.08.18
9.	वित्रलेश्वर शर्मा	चित्तौड़गढ़	15.07.90	11.08.16	10.08.18	11.08.18

क्रम संख्या 6 एवं 7 पर अंकित कार्मिको 34 दिवस एवं 57 का अवैतनिक अपकाश लेन क कारण परिबीक्षाकाल में क्रमशः 4 दिवस एवं 27 दिवस की अभिवृद्धि की जाती है।

९१

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 8-01-19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थायीकरण/अजमेर/सी-554/2018/03

परिशिष्टि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोग-उदयपुर।

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)।

4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति दिभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

6. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर